

फर्द अहकाम

हरद्वारा बनाम कौटिल

5802/19

98/19

57043

जिला न्यायालय

जयपुर

जा या ही

आज्ञा विस्तृत रूप से

विशेष विवरण

19/10

कि जयपुर पञ्चायती द्वारा वाड के साथ अर्धी द्वारा वाडुल कौटिल पर निमत पैसी से तलब की गयी। भूल वाड अर्धी द्वारा मिना कर वाखिल दफ्तर पर डिमागम है इसलिए इस पञ्चायती का चलाप जाना कोई कौटिल नही है। इस पञ्चायती से डिमांड 4-10-19 की जारी कंसिडर मस्यागी निजिदासा अपाएल डिमा जाता है अलः पञ्चायती मिनील बुकार होकर वाखिल दफ्तर रहे।

हरद्वारा

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान